आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत धोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

प्राथमिक वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :— 116/2021 (पीर मोहम्मद बनाम सरकार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 13.09.2022 निर्णय अनुसार ग्राम ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 1060 रकबा 0.58 है0 में से 0.13 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 को रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा वादी के हिस्से में दर्ज भूमि का अलग खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/— रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 14.09.2022 को जारी की गई।

14/9/22

साधुराम जाट (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 116 / 2021

पीरमोहम्मद उम्र 58 वर्ष पुत्र रमज्यानखां जाति काजी निवासी सोनासर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुझुनू।

प्रतिवादीगण

वकील वादी – श्री विजयसिंह लालपुरिया

दावा बाबत धोषणार्थ, विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

निर्णय दिनांक 14.09.2022

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में भूमि गत ख0न0 343मी. कुल रकबा 20 बीधा 5 बिश्वा पुख्ता जिसके हाल ख0न0 1064 रकबा 0.11 है0, ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 भूमि अवस्थित है। भूमि ख0न0 1065 वादी की खातेदारी की भूमि है तथा ख0न0 1064 रकबा 0.11 है0 भूमि वर्तमान में सड़क अवस्थित है। वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 ख0न0 1064 रकबा 0.11 है0 गै0मु0 सड़क के समानान्तर स्थित है। उक्त भूमि के अलावा वादी के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। वादी की भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 भूमि सड़क की सीमा में होने से वादी उक्त भूमि का उपयोग करने में सक्षम नहीं हे। चूंकि वादी उक्त सीमा को छोडकर अपना रिहायशी मकान बनाकर आबाद है जो भूमि गत ख0न0 317 मी. हाल ख0न0 1060 का हिस्सा है तथा उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है। जबकि मौके पर कोई रास्ता मौजुद नहीं है तथा उक्त दर्ज रास्ते के सहारे–सहारे पक्की सड़क गुजर रही है जो झुझुनू से मण्ड्रेला जाती है। इसलिये रास्ते का कोई औचित्य नहीं है। वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज होने के बावजुद सड़क सीमा में अवस्थित होने से वादी के लिये अनुपयोगी हो गई है अर्थात वादी इसका उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है साथ ही भूमि ख0न0 1065 से सटते हुये भूमि ख0न0 1060 अवस्थित है जो मौके पर खाली है कुछ हिस्से पर वादी ने उक्त भूमि को ख0न0 1065

ानिकर रिहायशी भी कर रखी हे। इसलिये वादी को भूमि ख0न0 1060 रकबा 0.58 है0 में से 0.13 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा 1065 रकबा 0.13 है0 भूमि जो वादी की खातेदार से हआकर गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। अंत में वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को ख0न0 1060 में 0.13 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 को गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे। वादी के हिस्से में दर्ज भूमि का अलग खाता विभाजन किया जाने का आदेश फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर भूमिधारी की हैसियत से तहसीलदार मलसीसर से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक 1295 दिनांक 17.06.2022 में अंकित किया है कि भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 वादी की खातेदारी में दर्ज भूमि है जो नक्शे में लम्बी पट्टीका के रूप में सड़क के समानान्तर स्थित है। सड़क से चिपते हुये कुछ हिस्से पर मकान बने हुये है तथा ख0न0 1060 गै0मु0 रास्ता के कुछ हिस्से पर भी मकान बने हुये है। वादी अपनी खातेदारी भूमि के बदले ख0न0 1060 गै0मु0 रास्ता से भूमि चाहता है।

जवाब देही पूर्ण होने पर वादी की ओर से वाद के समर्थन में साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात पर प्रदर्श 1 लगायत डाले गये। साक्ष्य पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्ता की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 वादी की एकमात्र खातेदारी काश्तकारी की भूमि है जो सड़क सीमा में स्थित होने से वादी के उपयोग उपभोग में नहीं है। वादी की भूमि ख0न0 1065 से सटती हुई भूमि ख0न0 1060 स्थित है जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज है परन्तु मौके पर कोई रास्ता नहीं है। वादी अपनी भूमि ख0न0 1065 के बदले ख0न0 1060 मेंसे 0.13 है0 भूमि लेना चाहता है जिसके बदले अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 1065 को गै0मु0 रास्ता में दर्ज करने में सहमत है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को ख0न0 1060 गै0मु0 रास्ता में से 0.13 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे तथा वादी की भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 को गै0मु0 रास्ता दर्ज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। तमाम साक्ष्य सबूतों तथ्यों एवं दस्तावेजात के अवलोकन से प्रथमदृष्टया वादी के पास भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भूमि नहीं है। उक्त भूमि पर वादी अपने परिवार सहित रिहायशी मकान बनाकर आबाद है रिहायशी मकानात का कुछ हिस्सा वादी की भूमि के सटती हुये भूमि ख0न0 1060 में भी स्थित है। वादी की खातेदारी की उक्त भूमि सड़क सीमा में होने से वादी के उपयोग उपभोग के काबिल नहीं है। इसलिये वादी के न्यायिक हितों के दृष्टिगत वादी को भूमि ख0न0 1060 में से 0.13 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 को रास्ते के रूप में धोषित किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम सोनासर पटवार हल्का सोनासर की सरहद में स्थित भूमि ख0न0 1060 रकबा 0.58 है0 में से 0.13 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा वादी की खातेदारी भूमि ख0न0 1065 रकबा 0.13 है0 को रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तथा वादी के हिस्से में दर्ज भूमि का अलग खाता विभाजन करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार मलसीसर को 1000/– रूपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मलसीसर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

14/9/22

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर